अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)
नियम, 1995

SCHEDULED CASTES/
SCHEDULED TRIBES
(PREVENTION OF ATROCITES)
RULES, 1995

(xxvii) SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) RULES, 1995

THE RULES

This is a Scheme of 50:50 sharing basis Central Government of India and State Government.

नई दिल्ली, शुक्रवार, 31 मार्च 1995 / चैत्र 10, 1917

कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, शुक्रवार, 31 मार्च 1995

सा. का नि. 316 (अ)– केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1955 का है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएंः– इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'अधिनियम' से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) अभिप्रेत है;

(ख) 'आश्रित' में, इसके व्याकरणिक रुपभेद और सजातीय पदों के साथ, पत्नी, बालक चाहे विवाहित हों या अविवाहित, आश्रित माता–पिता, विधवा बहन तथा अत्याचार के पीड़ित पूर्वमृत पुत्रा की विध्वा और बालक सम्मिलित हैं;

(ग) 'परिलक्षित क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्रा अभिप्रेत है जहां राज्य सरकार के पास यह विश्वास का कारण है कि वहां अत्याचार हो सकता है या अधिनियम के अधीन किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है अथवा ऐसा क्षेत्र अत्याचार उन्मुख है;

(घ) 'गैर सरकारी संगठन' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या दस्तावेजों या ऐसे संगठनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबधित कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई स्वैच्छिक संगठन अभिप्रेत है;

(ड) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्व अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(छ) 'राज्य सरकार' से, किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्टपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ज) उन शब्दों और मदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगें जो क्रमशः अधिनियम में है।

3. पुर्वावधानात्मक और निवारक उपाय–राज्य सरकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के निवारण की दृष्टि से –

(i) ऐसे क्षेत्र को परिलक्षित करेगी जहां इसके पास विश्वास का कारण है कि अधिनियम के अधीन अत्याचार हो सकता है या किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है;

(ii) जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य अध्किारी को परिलक्षित क्षेत्र का दौरा करने और विधि व्यवस्था की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के आदेश देगी;

(iii) यदि आवश्यक समझा जाए तो परिलक्षित क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं, उनके निकट संबंधियों/सेवकों या कर्मचारियों

और कुटुम्बीय मित्रों के आयुधों के लाइसेंसों को रद्व करेगी और ऐसे आयुधों को सरकारी शस्त्राागार में जमा करवाएगी;

(iv) सभी अवैध अग्न्यायुधों का अभिग्रहण करेगी तथा अग्न्यायुधों के किसी अवैध विनिर्माण को प्रतिषिद्व करेगी;

(v) व्यक्ति और सम्पति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यदि आवश्यक समझा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आयुध प्रदान करेगी;

(vi) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता करने के लिए यदि उचित और आवश्यक समझा जाए तो एक डच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय समिती, जिला तथा प्रभाग स्तरीय समितियों का गठन करेगी;

(vii) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए एक सतर्कता और मानीटरी समिती की स्थापना करेगी;

(viii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य अधिनियमितियों या नियमों, विनियमों तथा तद्धीन बनाई गई योजनाओं के उपबन्धों के अधीन उनको उपलब्ध उनके अधिकारों और सरंक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में अथवा किसी अन्य स्थान पर जागरुकता केन्द्रों की स्थापना करेगी और कार्यशालाओं का आयोजन करेगी;

(ix) जागरुकता केन्द्रों की स्थापना और उनके रख रखाव के लिये गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करेगी और उन्हें आवश्यक वितीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करेगी;

(x) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करेगी;

(xi) प्रत्येक तिमाही के अंत में विधि व्यवस्था की स्थिति, विभिन्न समितियों के कार्यकरण, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वन और अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों के

लिये उत्तरदायी विशेष लोक अभियोजकों, अन्वेषक अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेगी;

4. अभियोजन का पर्यवेक्षण और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनाः

(1) राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर विशेष न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की संख्या का एक पैनल तैयार करेगी जैसा वह उचित समझे, जो कम से कम सात वर्षों से विधि व्यवसाय में हों। इसी प्रकार, अभियोजन निदेशक/अभियोजन के भारसाध्क के परामर्श से विशेष न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिये लोक अभियोजकों का ऐसी संख्या में एक पैनल भी तैयार किया जायेगा, जैसा वह उचित समझे। ये दोनों पैनल राज्य के राजपत्र में भी अधिसूचित किये जाएं और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत रहेंगे।

(2) जिला मजिस्ट्रेट और अभियोजन निदेशक/अभियोजन का भरसाधक एक कलेंडर वर्ष में दो बार, जनवरी तथा जुलाई के मास में इस प्रकार विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेंगें और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि राज्य सरकार का यह समाधन हो गया है या यह विश्वास करने का कारण है, इस प्रकार नियुक्त या विनिर्दिष्ट किसी विशेष लोक अभियोजक ने अपनी सर्वोतम योग्यता से तथा सम्यक सावधनी और सतर्कता से मामले का संचालन नहीं किया है तो उसका नाम, लेखब(किये जाने वाले कारणों से, अधिसूचना से निकाल दिया जायेगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन का भारसाधक अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति का पुनर्विलोकन करेंगें तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती मास की 20वीं तारीख को या उससे पहले अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें। इस रिपोर्ट में प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के संबंध में की गई प्रस्तावित कारवाईयां विनिर्दिष्ट होंगी।

(5) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट, यदि आवश्यक समझे, अथवा अत्याचार के पीड़ित व्यक्ति ऐसा चाहें तो विशेष न्यायालयों में मामले के संचालन के लिये ऐसी फीस के भुगतान पर जैसा वह उचित समझे, एक विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियोजित कर सकेगा।

(6) विशेष लोक अभियोजक को फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा राज्य में अन्य पैनल अधिवक्ताओं से उच्चतर मान पर नियत किया जाएगा।

5. पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को सुचनाः–

(1) अधिनियम के अधीन अपराध किये जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना यदि पुलिस थाने के भारसाधक किसी अध्किारी को मौखिक रुप से दी जाती है तो उसके द्वारा या उसके निर्देश से लेखबद्व कर ली जाएगी और सुचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और ऐसी प्रत्येक सूचना, चाहे लिखित में दी जाती है या यथापूर्वोक्त लेखब(की जाती है, इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी ओर उसके सार को उस पुलिस थाने द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) उपयुक्त उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार लेखबद्व की गई सूचना की एक प्रति सूचना देने वाले को तत्काल मुफत दी जाएगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सुचना को लेखबद्व करने से पुलिय थाने के भारसाधक अधिकारी की और से इंकार होने से व्यथित कोई व्यक्ति इस प्रकार की सूचना का सार लिखित रुप में डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो स्वंय अपने द्वारा या एक पुलिस अध्किारी द्वारा जो पुलिस उप अधीक्षक के रैंक से कम न हो, अन्वेषण के पश्चात लिखित रुप में एक आदेश उस सुचना के सार को उस पुलिस थाने के द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि किए जाने के लिए संबधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देगा।

6. अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षणः

(1) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट या उप खण्ड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अध्किारी को जो पुलिस उप अधीक्षक से कम की पंक्ति का न हो, किसी व्यक्ति से अथवा अपनी ही जानकारी से सुचना प्राप्त करता है कि उसकी अधिकारिता

के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार किया गया है तो तुरंत वह अत्याचार से हुए जीवन हानि, संपति हानि और नुकसान की सीमा को निर्धारण करने के लिए स्वय घटना स्थल पर जाएगा और राज्य सरकार को तत्काल एक रिर्पोट प्रस्तुत करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट या उप खण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उस स्थल पर,–

(i) राहत के हकदार पीड़ितों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सुची बनाएगा;

(ii) अत्याचार, पीड़ितों की सम्पति की हानि और नुकसान की सीमा की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा;

(iii) क्षेत्र में पुलिस की गहन गश्त के आदेश देगा;

(iv) साक्षियों और पीड़ितों से सहानुभूति रखने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रभावी और आवश्यक उपाय करेगा;

(v) पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करेगा।

7. अन्वेषक अधिकारी :

(1) अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उप अधीक्षक से रैंक से कम का न हो। अन्वेषक अधिकारी की नियुक्ती राज्य सरकार/पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके पुर्व अनुभव, मामले की विविक्षाओं को समझने और मामले का अन्वेषण सही दिशा में कम से कम समय के भीतर करने की योग्यता और न्याय की भावना को ध्यान में रख कर की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषक अधिकारी अन्वेषण उच्च प्राथमिकता पर तीस दिन के भीतर पूरा करेगा और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उसके पश्चात उसे उस राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक को तत्काल भेज देगा।

(3) राज्य सरकार के गृह सचिव और समाज कल्याण सचिव अभियोजन निदेशक/अभियोजन के भारसाधक अधिकारी तथा पुलिस महानिदेशक प्रत्येक तिमाही के अन्त में अन्वेषण अधिकारीयों द्वारा किए गए सभी अन्वेषणों की स्थिति का पुनर्विलोकन करेगें।

8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरंक्षण कक्ष की स्थापना :

(1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक/पुलिस महा निरीक्षक के भारसाधन में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरंक्षण कक्ष की स्थापना करेगी। यह कक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उतरदायी होगाः–

(i) परिलक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना;

(ii) परिलक्षित क्षेत्र में लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना;

(iii) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करने के लिए या विशेष पुलिस चौकी की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(iv) अधिनियम के अधेन अपराध होने के सम्भावित कारणों के बारे में अन्वेषण करना;

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना को लाना;

(vi) परिलक्षित क्षेत्रा में विधि व्यवस्था की स्थिती के बारे में नोडल अधिकारी और विशेष अध्किारी को सुचित करना;

(vii) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किए गए अन्वेषण और स्थल पर किए गए निरिक्षणों के बारे में पूछताछ करना;

(viii) नियम 5 के उपनियम (3) के अधेन उन मामलों में, जहां पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि

करने से इंकार किया है, पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कारवाई के बारे में पूछताछ करना;

(ix) किसी लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के बारे में पुछताछ करना;

(x) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति का पुनर्विलोकन करना;

(xi) उपयुक्त के संबंध में राज्य सरकार/नोडल अधिकारी को की गई/की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में एक मासिक रिर्पोट प्रत्येक पश्चातवर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करना।

9. नोडल अधिकारी का नामनिर्देशन :

राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के अधिनियम के उपबन्धों के कार्यन्वयन के लिए जिम्मेदार अन्वेषण अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए, राज्य सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी को, जो अधिमानतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सें संबंधित हो, नोडल अधिकारी नाम निर्देशित करेगी। प्रत्येक तिमाही के अन्त में नोडल अधिकारी निम्नलिखित का पुनर्विलोकन करेगाः–

(1) नियम 4 के उपनियम (2) और उपनियम (4) नियम 6, नियम 8 के खंड (XI) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट;

(2) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति;

(3) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिती;

(4) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके आश्रित को नकद या वस्तु रुप में अथवा दोनों में तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपाय ;

(5) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके आश्रितों को राशन, वस्त्र, आश्रय, विधिक सहायता, यात्राा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा परिवहन सुविधाओं जैसी तत्काल दी जाने वाली सुविधाओं की पर्याप्तता;

(6) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिय जिम्मेदार गैर–सरकारी संगठनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरंक्षण कक्ष, विभिन्न समितियों और लोक सेवकों का कार्यापालन।

10. विशेष अधिकारी की नियुक्ती :

परिलक्षित क्षेत्र में अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून का एक विशेष अधिकारी की नियुक्ती, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी अन्य अधिकारियों, विभिन्न समितियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरंक्षण कक्ष के साथ समन्वय करने के लिए की जाएगी। विशेष अधिकारी निम्नलिखित के लिए उतरदायी होगाः–

(1) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान करना और अत्याचार के पुनः होने को निवारित करने या उससे बचने के आवश्यक उपाय करना;

(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों और विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अधिनियमितियों या नियमों और तद्धीन तैयार की गई योजनाओं के उपबंधों के अधीन उन्हें प्राप्त सरंक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में चेतना केन्द्र की स्थापना तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना;

(3) गैर सरकारी संगठनो के साथ समन्वय करना और केन्द्रों के रख रखाव या कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए गैर सरकारी संगठनो को आवश्यक सुविधाओं वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना;

11. अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति उसके आश्रित तथा साक्षियों को यात्राा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय और परिवहन सुविधायें;

(1) अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति उसके आश्रित और साक्षियों को उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या सुनवाई या विचारण के स्थान तक का एक्सप्रेस/ मेल/ यात्राी ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का आने–जाने का रेल भाड़ा अथवा वास्तविक बस व टैक्सी भाड़े का संदाय किया जाएगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों को, अन्वेषण अध्किारी, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए परिवहन सुविधएं देने अथवा उसके पूरे संदाय की प्रतिपुर्ति की आवश्यक व्यवस्था करेंगें।

(3) प्रत्येक महला साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसकी आश्रित महला या अवयव व्यक्ति साठ वर्ष की आयु से अध्कि का व्यक्ति और 40 प्रतिशत या उससे अध्कि की निःशक्त व्यक्ति अपनी पंसद का परिचर अपने साथ लाने का हकदार होगा। परिचर को भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई, अन्वेषण और विचारण के दौरान बुलाए जाने पर साक्षी अथवा अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को देय यात्राा और भरण पोषण व्यय का संदाय किया जाएगा।

(4) साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसका/उसकी आश्रित तथा परिचर को अपराध के अन्वेषण, सुनवाई और विचारण के दौरान उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से दूर रहने के दिनों के लिए ऐसी दरों पर दैनिक भरण पोषण व्यय का संदाय किया जाएगा जो उस न्यूनतम मजदूरी से जैसा कि राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए नियत की हो, कम नहीं होगा।

(5) साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति (अथवा उसका/उसकी आश्रित) और परिचर को दैनिक भरण पोषण व्यय के अतिरिक्त आहार व्यय का भी ऐसी दरों पर संदाय किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत करे।

(6) पीड़ित व्यक्तियों, उनके आश्रितों/परिचर तथा साक्षियों को अन्वेषण अधिकारी या पुलिस थाना के भारसाधक अथवा अस्पताल प्राधिकारियों या पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप अधीक्षक अथवा जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य संबध्ति अध्किारी के पास अथवा विशेष न्यायालय जाने के दिनों के लिए यात्राा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय तथा परिवहन सुविधाओं की प्रतिपुर्ति जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप खंड मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत अथवा अधिक से अधिक तीन दिनों में किया जाएगा।

(7) जब अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए औषधियों, विशेष परामर्श रक्ताधन बदलने के लिये आवश्यक वस्त्र; भोजन और फलों के लिए संदाय की प्रतिपूर्ति करेंगें।

12. जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले उपाय:

(1) जीवन हानि और सम्पति के हुए नुक्सान का निर्धारण करने और राहत के लिए पात्रा पीड़ित व्यक्तियों उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सुची तैयार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र में जाएगें जहां अत्याचार किया गया है।

(2) पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगें कि प्रथम इतिला रिर्पोट संबंधित पुलिस थाने की बही में रजिस्ट्रीकृत की गई है और अपराधी को गिरफतार करने के लिये प्रभावी कदम उठाए गए है।

(3) पुलिस अधीक्षक, मौके पर निरीक्षण के पश्चात तत्काल एक अन्वेषण अध्किारी नियुक्त करेगा और उस क्षेत्र में ऐसा पुलिस बल तैनात करेग और ऐसे अन्य निवारक उपाय करेगा जिन्हें वह उचित और आवश्यक समझे।

(4) जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इन नियमों (उपबंध 2 के साथ गठित उपाबंध 1) से उपाबद्व अनुसूची में दिए गए मान के अनूसार अत्याचारों से पीड़ितों, व्यक्तियों उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों को नकद या वस्तु अथवा दोनों रुप में तत्काल राहत देने की व्यवस्था करेगा। ऐसी राहत में भोजन, जल, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित होगी जो मानव के लिए आवश्यक है।

(5) उप नियम (4) के अधीन अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसके/उसकी आश्रित की मृत्यु, या क्षति अथवा सम्पति को नुकसान के राहत तत्काल प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का दावा करने किसी अन्य अध्किार के अतिरिक्त होगा।

(6) उप नियम 4 में उल्लिखित राहत और पुर्नवास सुविधाएं जिला मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों की उपाबद्व सुची में दिए गए मान के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(7) जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट अथवा अधीक्षक द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुर्नवास सुविधाओं की एक रिपोर्ट विशेष न्यायालय को अग्रेषित की जाएगी। यदि विशेष न्यायालय का समाधन हो जाता है कि राहत का संदाय पीड़ित व्यक्ति अथवा उसका/उसकी आश्रित को समय पर नहीं किया गया अथवा राहत या प्रतिकर पर्याप्त नहीं था अथवा राहत और प्रतिकर के केवल एक भाग का संदाय किया गया तो यह राहत अथवा कोई अन्य प्रकार की सहायता का पूर्ण अथवा आंशिक संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

13.**अत्याचार से संबंधित कार्य को पुरा करने के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का चयनः**

(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अत्याचार प्रवण क्षेत्र में नियुक्त किए जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के प्रति सही प्रवृति और समझ है।

(2) राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रशासन तथा पुलिस बल में सभी स्तरों पर विशेष रुप से पुलिस चौकियों और पुलिस थाने में पर्याप्त रुप से प्रतिनिधित्व हो।

14. राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट दायित्व : राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुर्नवास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक उपबंध करेगी। यह एक कलेन्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट अथवा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन जिला मजिस्ट्रेट, उप खंड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्ट किए गए अन्वेषण और निवारण के लिए उठाए गए कदमों, दी गई राहत और पुर्नवास सुविधाओं तथा संबंधित अधिकारियों की ओर से की गई गलतियों के संबंध में रिर्पोटों का पुनर्विलोकन करेगी।

15. राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता योजनाः–

;(1) राज्य सरकार, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए एक आदर्श आकस्मिकता योजना तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसुचित करेगी। इसे विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों पर उनके अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी, ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों की भुमिका और जिम्मेदारी को विनिर्दिष्ट करना चाहिए। इस योजना में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित को शामिल करके राहत कायों को एक पैकेज होगाः–

(क) नकद या वस्तु रुप में अथवा इन दोनों में तत्काल राहत, प्रदान करने की योजना,

(ख) कुषि भूमि तथा गृह स्थलों का आबंटन;

(ग) पुर्नवास पैकेज;

(घ) सरकार और सरकारी उपक्रमों में पीड़ित व्यक्ति के आश्रित अथवा कुटुम्ब के सदस्यों में से एक को रोजगार के लिए स्कीम;

(ड) विधवाओं, मृतक के आश्रित बालकों, विकलांग व्यक्तियों या अत्याचार से पीड़ित वृद्वों के लिए पेंशन स्कीम;

(च) पीड़ितों के लिए आज्ञापरक प्रतिकर;

(छ) पीड़ित की सामाजिक और आर्थिक हालत को सुदृढ़ करने के लिए स्कीम;

(ज) पीड़ित व्यक्तियों को ईंट/पत्थर चिनाई गृहों के लिए उपबंध;

(झ) स्वास्थ्य की देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपुर्ति, विद्युतीकरण, पर्याप्त पेयजल सुविधा], अन्तयेष्टि स्थल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राकृतिक वास तक संपर्क मार्ग जैसी सुविधएं।

(2) राज्य सरकार, आकस्मिकता योजना को अथवा उसके सार की एक प्रति और इस स्कीम की एक प्रति यथाशीघ्र कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार तथा सभी जिला मजिस्ट्रेटों, उप खंड मजिस्ट्रेटों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को अग्रेषित करेगी।

16. राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिती का गठनः

;(1) राज्य सरकार अधिक से अधिक 25 सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित होगेंः–

(i) मुख्य मंत्री प्रशासक–अध्यक्ष

(राष्ट्रपति शासन के अधिन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होगा):

(ii) गृह मंत्री, वित मंत्री और कल्याण मंत्री– सदस्य

(राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होगें):

(iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संसद, राज्य विधान सभा और विधान परिषद के सभी चुने गए सदस्य– सदस्य ;

(iv) मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक/उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग–सदस्य ;

(V) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के प्रभारी सचिव–संयोजक

(2) उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिती की बैठक अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुर्नवास सुविधा तथा उससे सम्बद्व अन्य मामले, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार विभिन्न अधिकारीयों और अभिकरशों की भुमिका और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने के लिए एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में होगी।

17. जिला स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिती का गठन :

(1) राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक जिला में जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधएं तथा उससे सम्बद्व अन्य मामलों, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारीयों/अभिकरशों की भुमिका तथा जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों कें पुनर्विलोकन के लिए अपने जिले में सतर्कता और मानीटरी समिती की स्थापना करेगा।

(2) जिला स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिती में संसद, राज्य विधान सभा और विधान परिषद के चुने गए सदस्य, पूलिस अधीक्षक,, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य सरकार के तीन समूह 'क' अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अधिक से अधिक 5 गैर सरकारी सदस्य तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न प्रवर्ग के ऐसे अधिक से अधिक 3 सदस्य होंगें जो गैर सरकारी संगठनो से सहबद्व हैं। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगें।

(3) जिला स्तरीय समिती की, तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

18. वार्षिक रिर्पोट के सामग्री :

राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किय गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेषित करेगी।

ख्का. सं. 11012/12/89/ पी सी आर (डेस्क),
गंगा दास, संयुक्त संचिव

उपाबन्ध–I

अनुसूची

[नियम 12(4) देखिए]

राहत राशि के लिए मापदण्ड

क्रम सं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना [धारा 3(1)(i)]	प्रत्येक पिड़ित को अपराध के स्वरुप और गंभीरता को देखते हुए 25,000 रु. या उससे अधिक और पिड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगाः 1. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए। 2. 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्व ठहराया जाए।
2.	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना [धारा 3(1)(ii)]	
3.	अनादरसुचक कार्य [धारा 3 (1)(iii)]	
4.	सदोष भुमि अभिभोग में लेना या उस पर कृषि करना, आदि [धारा 3 (1)(iv)]	अपराध के स्वरुप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 25,000 रु. या उससे अधिक भुमि/परिसर/जल की आपुर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुनः वापस की जाएगी। जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए पुरा भुगतान किया जाए।
5.	भुमि, परिसर या जल से संबंधति [धारा 3 (1)(v)]	
6.	बेगार या बलात्श्रम या बंधुआ मजदुरी [धारा 3 (1)(vi)]	प्रत्येक पिड़ित व्यक्ति को कम से कम 25,000 रु./ प्रथम सुचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्व होने पर।
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में [धारा 3 (1)(vii)]	प्रत्येक पिड़ित व्यक्ति को 20,000/–रु0 तक जो अपराध के स्वरुप और गंभीरता पर निर्भर है।

8.	मिथ्या, द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही [धारा 3 (1)(viii)]	25,000 रु. या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो।
9.	मिथ्या या तुच्छ जानकारी [धारा 3 (1)(ix)]	
10.	अपमान, अभित्राास [धारा 3 (1)(x)]	अपराध के स्वरुप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पिड़ित व्यक्ति को 25,000रु तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोषसिद्व होने पर।
11.	किसी महिला की लज्जा भंग करना [धारा 3 (1)(xi)]	अपराध के प्रत्येक पिड़ित को 50,000रु चिकित्सा जांच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए।
12.	महिला का लेंगिक शोषण [धारा 3 (1)(xii)]	
13.	पानी गन्दा करना [धारा 3 (1)(xiii)]	1,00,000 रु तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पुरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए।
14.	मार्ग के रुढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना [धारा 3 (1)(xiv)]	1,00,000 रु तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पुरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पुरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्रा न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्व होने पर।
15.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबुर करना [धारा 3 (1)(xv)]	स्थल बहाल करना। ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पिड़ित व्यक्ति को 25,000 रु. का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुननिर्माण, यदि नष्ट किया गया हो। पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजा जाए।

16.	मिथ्या साक्ष्य देना [धारा 3 (2)(1)और(ii)]	कम से कम 1,00,000 रु. या उठाए गए नुकसान या हानि का पुरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्रा न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्व होने पर।
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना [धारा (2)]	अपराध के स्वरुप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पिड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 50,000 रु यदि अनुसूची में विशिष्ट। अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा।
18.	किसी लोकसेवक के हाथों उत्पीड़न [धारा 3 (2)(vii)]	उठाई गई हानि या नुकसान का पुरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्रा न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोषसिद्व हो जाए, किया जाएगा।
19.	निर्योग्यता। कल्याण मंत्राालय भारत सरकार की समय–समय पर यथासंशोधित अधिसुचना सं. 4–2–83 एच. डब्ल्यू–3 तारीख 6–8–1986 में शारीरिक और मानसिक निर्योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। (क) 100 प्रतिशत असमर्थता (i) परिवार का न कमाने वाल सदस्य (ii) परिवार का कमाने वाल सदस्य	 अपराध के प्रत्येक पिड़ित व्यक्ति को 1,00,000 रु। 50 प्रतिशत प्रथम सुचना रिर्पोट पर और 25 प्रतिशत आरोप पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसि(होने पर। अपराध के प्रत्येक पिड़ित व्यक्ति को 2,00,000रु, 50 प्रतिशत का प्रथम सुचना रिर्पोट/चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप पत्रा

	(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है।	न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसि(हो जाने पर। उपयुक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वही रहेंगें। तथापि न कमाने वाले सदस्य को 15,000 रु से कम नहीं और परिवार के कमाने वाल सदस्य को 30,000रु से कम नहीं होगा।
20.	हत्या/मृत्यू (क) परिवार का न कमाने वाल सदस्य (ख) परिवार का कमाने वाल सदस्य	 प्रत्येक मामले में कम से कम 1,00,000रु 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्व होने पर। प्रत्येक मामले में कम से कम 2,00,000रु। 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्व होने पर।

21.	हत्या, मृत्यू, नरसंहार, बला्तसंग, सामूहिक बला्तसंग, गेंग द्वारा किया गया बला्तसंग, स्थायी असमर्थता और डकैती।	उपयुक्त मदों के अन्तर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख सें तीन माह के भीतर निम्नलिखित रुप से की जाएः– (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतृक की प्रत्येक विध्वा और/या अन्य आश्रितों को 1,000 रु प्रति मास की दर से, या मतृक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो

		तो तत्काल खरीद द्वारा। (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण–पोषण का पुरा खर्चा/ बच्चों को आश्रम, स्कुलों/आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए। (iii)तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था।
22.	पुर्णतया नष्ट करना/जला हुआ मकान	जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो। वहां सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए।

नोटः

- यह स्कीम अनुसूचित जाति एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा लागू की जाती है तथा लाभपात्रों को रा ि ा जिला कल्याण अधिकारी द्वारा दी जाती है ।

- इस स्कीम के अन्तर्गत पिछले पांच वर्शो में जो रा ि ा दी गई उसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

-

वर्श	खर्च	पीड़ित व्यक्तियों को सहायता
2001-02	23.88	110
2002-03	48.23	162
2003-04	27.69	120
2004-05	17.58	64
2005-06	152.60	132

- अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति अपने केस की एफ0आई0आर0 दर्ज करवाते हुए यह सुनि ि चत करें कि वास्तव में उनका यह केस अत्याचार अधिनियम 1989 के अन्तर्गत केस से सम्बन्धित धारा/उप धारा के तहत दर्ज हुआ हो । जब केस की जांच पड़ताल की जाये उसके प चात पुलिस जांच अधिकारी तथा लोक अभियोजक यह सुनि ि चत करें कि वास्तव में केस अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत दर्ज हुआ है क्योंकि ज्यादातर केस अधिनियम के

धारा/उप–धारा के अन्तर्गत दर्ज न होने के कारण केस हार जाने के कारण दोशी छूट जाते हैं ।

- इसलिये सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार की घटना के समय अपना केस अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, नियम 1995 के सैक ान 3 नियम 12 (4) की सही धारा/उप–धारा के नियम के तहत दर्ज करवायें ताकि दोशी को सजा मिले सके और पीड़ित व्यक्ति अपना केस जीत सके ।

सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 की परिपालना बारे ।

भूमिका

इस अधिनियम के अधीन छूआछूत दूर करने हेतु निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जाती है । यह सभी स्कीमें केन्द्रीय प्रयोजित है जो 50:50 के आधार पर चलाई जा रही हैं ।

कानूनी सहायता

इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें, भूमिपतियों द्वारा अत्याचार और भूमि बेदखली के मुकदमों में पैरवी करने के लिये कानूनी सहायता दी जाती है ।

अर्न्तजातीय विवाह

इस स्कीम के तहत यदि कोई अनुसूचित जाति का लड़का/लड़की किसी गैर अनुसूचित जाति के लड़का या लड़की से भाादी करता है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाता है । लड़का/लड़की भारत के नागरिक हों तथा दोनो में से एक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिये । आवेदन पत्र भाादी की तिथि के एक वर्श के अन्दर–अन्दर देना चाहिये ।

उत्कृश्ठ कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन रा ि ा देना

इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के लोगों की भलाई जैसे छुआछूत दूर करना, गलियां पक्की बनवाना, लड़कियों को स्कूल में दाखिल कराना आदि के लिये कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन रा ि ा प्रदान की जाती है ।

डिबेट एंव सैमीनार

इस स्कीम के अन्तर्गत जिला मुख्यालयों पर जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा छूआछूत दूर करने हेतु समय–समय पर सैमीनार आयोजित करवाये जाते हैं । निदे ाालय स्तर पर भी इस बारे हिप्पा, (पंचकूला) तथा एच0आई0आर0डी0, नीलोखेड़ी के माध्यम से वर्क ााप/सैमीनार आयोजित करवाये जाते हैं ।

अत्याचार स्कीम की प्रचार हेतू होर्डिग लगवाने बारे

अत्याचार स्कीमों के प्रचार हेतु सभी जिला मुख्यालयों के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिग्स लगाये जाते हैं । यह होर्डिग्स सम्बन्धित उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप मण्डल अधिकारी (ना0), जिला कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड़ विकास एंव पंचायत अधिकारी, सभी पुलिस स्टै ान इत्यादि पर लगवाये जाते है ।